

दिनांक 27/3/23

27/3

4.3.23 कोशिका

पत्रावली में ...
महो ...
अतः ...
दिनांक 27/3/23 को पेश हो।

18.05.23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित। वकील प्राची ने उपस्थित होकर प्राचीन पत्र पेश का विवेक किया कि उक्त प्रकार का फल वाद का पूर्व में निस्तार हो चुका है। प्रकरण फल वाद खारिज होने से प्रापत दस्तावेजी विवेचना का कोई दायित्व नहीं है। अतः प्रापत दस्तावेजी विवेचना को नोटेशन करमाया नहि। पत्रावली व अनुसूत प्रापत का इन्फेक्शन किया गया। प्रकार के फल वाद का निस्तार होने से प्रापत दस्तावेजी विवेचना को खारिज किया जाता है। पत्रावली के फल वाद होकर नमवा से कम हो तथा दाखिल दफतर है।

1. काल का प्रक
वर्ष
लाभगुण
प्राप्त
प्रमाण का
Not
प्रमाण
वास्तव
Ely

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (डुन्डुनी)

